न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 77/2016 जिला दौसा

जगदीश पुत्र रामकिशोर, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी लालपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र बंशी तथाकथित दत्तक पुत्र भौर्‍या जाति हरियाण ब्राह्मण निवासी लालपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. राज. सरकार द्वारा तहसीलदार ,तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
3. मु.रामप्यारी बहिन भौर्‍या पत्नि ग्यारसीलाल जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी डिडवाना, तहसील लालसोट, जिला दौसा (मृतका)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 25.1.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजकुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक 6.2.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 25.1.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम लालपुरा , तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 91 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा , कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा का खातेदार भौर्‍या पुत्र हबला कौम ब्राह्मण था । भौर्‍या के अविवाहित फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 325 भौर्‍या के पिता हबला के भाई मुरली के लडके बंशी के पुत्र मूलचन्द दत्तक पुत्र भौर्‍या व रामप्यारी बहिन भौर्‍या पत्नि स्व. ग्यारसी राम हिस्सा बराबर के नाम दिनांक 20.5.2014 के प्रस्ताव संख्या 6 के द्वारा ग्रम पंचायत लालपुरा ने स्वीकार किया ।

उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मूलचन्द के भाई रामकिशोर के पुत्र अपीलान्ट जगदीश द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.1.2016 से ग्रम पंचायत लालपुरा द्वारा नामांतरकरण संख्या 325 ग्रम पंचायत के प्रमाण पत्र व मृतक के वारिसान सगी बहिनों के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भरा जाकर स्वीकृत किये जाने से खारिज की जाकर नामांतरकरण संख्या 325 दिनांक 20.5.2014 यथावत रखा गया है ।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 25.1.2016 के खिलाफ अपीलान्ट जगदीश पुत्र रामकिशोर द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार भौर्‍या अविवाहित फौत हुआ था जिसने 40 वर्ष पूर्व बंशी के पुत्र रामकिशोर को अपना उत्तराधिकारी बनाया था । रामकिशोर की मृत्यु के बाद रामकिशोर की द्वितीय पत्नि मु. राधा ने खातेदार भौर्‍या की जीवनभर सेवा सुश्रुषा की तथा आराजी वादग्रत पर काश्त की । खातेदार भौर्‍या के फौत होने पर मु. राधा ने विवादित आराजी की खातेदरी हेतु वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट में वर्ष 1990 में मु. राधा बनाम मूलचन्द आदि पेश किया था जिसमें भूमि वादग्रस्त दिनांक 20.11.91

को कुर्क हुई जिसकी पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 30.4.92 से हुई । मु.राधा द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 30.8.93 को निरस्त होने पर उसके खिलाफ मु. राधा द्वारा अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जो स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की गई । इस पर मु. राधा का वाद दिनांक 26.6.2005 को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का कब्जा मु. राधा को सम्भला दिया । अपीलान्ट मूलचन्द द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 16.1.2009 द्वारा स्वीकार हुई , जिसके खिलाफ द्वितीय अपील मा. राजस्व मण्डल अजमेर में मु. राधा द्वारा प्रस्तुत की जिसके विचाराधीन रहते मु. राधा की मृत्यु हो गई । अपीलान्ट जगदीश मृतका मु. राधा के वसियत ग्रहिता के आवेदन पर अपीलान्ट जगदीश को पक्षकार बनाया गया । माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 24.1.14 से द्वितीय अपील निरस्त हुई और इसके खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका के विचाराधीन रहते प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 325 दिनांक 20.5.2014 को ग्रम पंचायत द्वारा रेस्पोंडेन्ट मूलचन्द के नाम अपीलान्ट को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये अपने अधिकार क्षेत्र का अतिमक्रमण कर तस्दीक किया है , जो निरस्तनीय है ।

उनका कहना था कि अधीस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये अपील दिनांक 3.6.15 को अन्य तहसील रामगढ पचवारा के ग्रम पंचायत गांगल्यावास शिविर पर रख कर दिनांक 23.7.15 को आदेशार्थ तारीख पेशी अंकित करदी और उसके बाद की तारीख पेशियों की अपीलान्ट व अपीलान्ट के अभिषाषक को बिना सूचना दिये पेशी 7.8.15, 1.10.15, 5.10.15 आदेशार्थ अंकित की गई एवं दिनांक 5.10.15 को बहस सुनी गई अंकित कर दिनांक 12.1.215 वास्ते आदेश नियत की गई । दिनांक 12.12.15 को पुनः बहस सुनी गई एवं वास्ते आदेश दिनांक 25.1.16 नियत कर अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सूचना व सुनवाई के पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत को उत्तराधिकार विनिश्चित करने एवं गोद पुत्र के संबंध में निर्णय करने का अधिकार नहीं था , लेकिन फिर भी ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है । अधिनस्थ न्यायालय ने भी ग्रम पंचायत के अवैध आदेश की पुष्टि कर अधिकार क्षेत्र का सम्यक उपयोग नहीं किया है । उनका कहना था कि अपीलान्ट जगदीश मु. राधा बेवा रामकिशोर का वसियतग्रहिता है तथा मु. राधा एवं मूलचन्द के बीच आराजी वादग्रस्त के संबंध में प्रकरण न्यायालय उप जिला कलक्टर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक विचाराधीन रहे हैं । वर्तमान में अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के बीच अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लालसोट के समक्ष वाद दत्तक ग्रहण के संबंध में विचाराधीन है एवं वाद के विचाराधीन रहते अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 1998 पेज 487 एवं आर. बी.जे. 1998 पेज 215 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार भौर्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा पंचायत कौरम में प्रस्ताव लेकर रेस्पोंडेन्ट मूलचन्द दत्तक पुत्र भौर्या व रामप्यारी बहिन भौर्या के नाम तस्दीक किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि विवादित भूमि का खातेदार भौर्या अविवाहित फौत हुआ था जिसके दो बहिने रामप्यारी व नर्बदा थी । नर्बदा की पूर्व में ही मृत्यु हो गई थी तथा रामप्यारी ने अपने जीवनकाल में ही भौर्या के गोद पुत्र मूलचन्द के नाम हकत्याग पत्र रजिस्टर्ड करवा दिया था । उनका कहना था कि ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी कर रेस्पोंडेन्ट को भौर्या का दत्तक पुत्र घोषित किया है एवं नर्बदा देवी के वारिस मदन लाल, राजेन्द्र कुमार, रामबाबू पि. जगदीश शर्मा एवं रामप्यारी देवी ने दस रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया था व गवाह के रूप में महादेव पुत्र ईश्वर द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया था । उनका कहना था कि अपीलान्ट भौर्या का वारिस नहीं होकर काल्या पुत्र चन्द्रा के गोद गया था जो नामांतरकरण संख्या 32 से प्रमाणित है । अपीलान्ट जगदीश जब काल्या के गोद चला गया तो अब उसका भौर्या की चल अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है । अपीलान्ट द्वारा भौर्या के वारिस होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण को यथावत रखते

हुये अपीलान्ट की अपील खारिज की है । अतः प्रश्रनगत नामांतरकरण व अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार भौर्या की विरासत का है । भौर्या के अविवाहित फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण मूलचन्द दत्तक पुत्र भौर्या एवं रामप्यारी बहिन भौर्या के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है । अपीलान्ट मूलचन्द के भाई रामकिशोर की पत्नि मु. राधा का वसियतग्रहिता होने के आधार पर भौर्या की भूमि में हक चाहता है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ मूलचन्द के भाई रामकिशोर के पुत्र अपीलान्ट जगदीश की अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.1.2016 से ग्रम पंचायत लालपुरा द्वारा नामांतरकरण संख्या 325 ग्रम पंचायत के प्रमाण पत्र व मृतक के वारिसान सगी बहिनों के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भरा जाकर स्वीकृत किये जाने से खारिज की जाकर नामांतरकरण संख्या 325 दिनांक 20.5.2014 यथावत रखा गया है । अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के बीच न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लालसोट के समक्ष वाद उनवानी जगदीश बनाम मूलचन्द उत्तराधिकार के संबंध में विचाराधीन है जिसमें दिनांक 9.7.2015 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1,2,3 को आगामी पेशी दिनांक 13.7.2015 तक वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में आज की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते है कि विवादित भूमि के खातेदार भौर्या के अविवाहित फौत होने पर उसके दत्तक/उत्तराधिकार के संबंध में वाद उनवानी जगदीश बनाम मूलचन्द न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लालसोट के समक्ष विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 9.7.2015 से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1,2,3 को आगामी पेशी दिनांक 13.7.2015 तक वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में आज की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है । इससे पूर्व भी पक्षकारों के मध्य अधिघोषणा के संबंध में मुकदमें माननीय उच्च न्यायालय तक चले हैं जिनके विचाराधीन रहते ग्रम पंचायत द्वारा भौर्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण मूलचन्द दत्तक पुत्र भौर्या के नाम तस्दीक किया है , जो विधिसम्यक नहीं है क्योंकि दत्तक/उत्तराधिकार के संबंध में पक्षकारों में विवाद के रहते प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने के अधिकार ग्रम पंचायत को नहीं है । दत्तक के संबंध में विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिपादित है कि नामांरकरण की कार्यवाही में दत्तक का विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न तय नहीं किया जा सकता । दत्तक के आधार पर उत्तराधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार तय कराने होगें । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पक्षकारों के मध्य दत्तक/उत्तराधिकार के संबंध विचाराधीन सिविल वाद एवं उसमें पारित स्थगन आदेश की अनदेखी करते हुये पारित किया है, जिसे विधिसम्यक नहीं ठहराया जा सकता । पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण उनके मध्य दत्तक/उत्तराधिकार के संबंध विचाराधीन सिविल वाद में ही होगा । अतः वाद के निर्णय तक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को स्थगित रखा जाना उचित है ताकि पक्षकारों में अनावश्यक मुकमेबाजी न बढे । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 25.1.2016 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 325 दिनांक 20.5.2014 निरस्त किये जाते है तथा पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय तक नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर